विधि विभाग की उपलब्धियाँ

(1) **राज्य में 303 अधिवक्ताओं की नोटरी के रूप में नियुक्ति** – राज्य की जनता को Affidavit तथा दूसरे नोटरियल कार्य में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 303 अधिवक्ताओं की नोटरीज के रूप में नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है।

(2) **बंदी की मुक्ति** – State Remission Board की अनुशंसा पर 01.01.12 से अबतक 164 आजीवन कारावास भोग रहे कैदियों को कारा मुक्त करने का आदेश विधि विभाग द्वारा निर्गत किया गया है।

(3) **अभियोजन की स्वीकृति** –दि० 01.01.12 से अबतक भ्रष्टाचार एवं गबन के कुल 41(एकतालीस) मामलों में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दिया जा चुका है, जिसमें से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कुल 23(तेईस) मामलें है।

(4) **शिवहर व्यवहार न्यायालय की स्थापना** – शिवहर में व्यवहार न्यायालय के गठन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत 01.12.12 से शिवहर व्यवहार न्यायालय कार्यशील हो गया है।

(5) **रोहतास जिलान्तर्गत** – डिहरी अनुमंडलीय न्यायालय कार्यशील हो गया है।

(6) **मधेपुरा जिलान्तर्गत** – उदाकिशुनगंज अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग-3 एवं वर्ग-4) के लिए कुल 54(चौवन) पद सृजित किए गये है। जल्द ही इसे क्रियाशील किये जाने पर विचार हो रहा है।

(7) **सम्पर्क कार्यालय दिल्ली में अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी के पद का सृजन तथा पदस्थापन हो चुका है** जो बिहार सरकार की वादों का उच्चत्तम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीकरण में अनुश्रवण का कार्य करेंगे तथा बिहार सरकार से संबंधित विभिन्न मामलों में भारत सरकार के संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर कार्य का सुचारू रूप से संपादन करेंगे।

(8) **राज्य में तीन सी0बी0आई0 न्यायालय का गठन** – तीन अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है, जिनके लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के तीन पद एवं उन न्यायालयों के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कुल 15 पद सृजित किए गये है।

(9) **विधिक सेवाओं के लिए आय सीमा की बढ़ोत्तरी** – समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गो के अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराने हेतु उनकी वार्षिक आय सीमा 50,000/-(पचास हजार) रूपये से बढ़ाकर 1,00,000/-(एक लाख) रूपये किया गया है।

(10) **राज्य में अपराध के द्वारा पीड़ित को प्रतिकर दिये जाने से संबंधित योजना** – राज्य सरकार द्वारा बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि अपराधी की पहचान नही होने के बावजूद पीड़ित के या उसके आश्रित के आवेदन पर प्रतिकर दिया जा सकता है। प्रतिकर की राशि निम्न प्रकार की है:-

क्र0सं0	हानि अथवा क्षति की विशिष्टियाँ	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1.	बलात्कार	50,000/- रूपये ।
2.	मानव दुर्व्यवहार अपहरण आदि जैसे मामले में पीड़ित महिला एवं बच्चे को गंभीर मानसिक दर्द पहुँचाने वाली हानि अथवा क्षति	25,000/- रूपये ।
3.	जीवन की हानि	1,00,000/- रूपये ।
4.	भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 में यथा परिभाषित गंभीर उपहति ।	25,000/- रूपये ।
5.	एसिड आक्रमण द्वारा की गयी क्षति ।	25,000/- रूपये ।

(11) राज्य के मधुबनी/ रोहतास/ अररिया/ बक्सर/ बेगूसराय/ भागलपुर/ भोजपुर/ मधेपुरा/ मुजफ्फरपुर/ समस्तीपुर/ मोतिहारी एवं शिवहर में लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गयी है। शेष जिलों में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।